दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, बुधवार 06 फरवरी 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-128

हालात पर मेरा दिल रो रहा है:ममता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया नैतिक जीत

कोलकाता(आरएनएस। सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नैतिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैतिक जीत है, बंगाल की जीत है, हमारी और आपकी जीत है। वहीं धरना जारी रखने के फैसले पर उन्होंने कहा कि वह अपने नेताओं से बात करके इस पर फैसला लेंगी। ममता ने यह भी कहा कि वह जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं देंगी। सीबीआई बिना नोटिस के कमिश्नर के घर गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कोलकाता में धरना स्थल पर मीडिया

को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, आज की जीत हमारी नहीं देश की जनता और लोकतंत्र की जीत है। मोदी सरकार हमें ठीक से काम नहीं करने दे रही है। हमारे नेताओं को जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है। मैंने बहुत सहा है। हमारे लोगों की बेइज्जती की जा रही है। हालात पर मेरा दिल रो रहा है।

सीबीआई को लेकर उठे विवाद के बाद मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धरना तीसरे दिन भी जारी है। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा।

इस पर ममता ने कहा, राजीव कुमार ने कभी नहीं कहा कि वह नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सही स्थान पर मिलना चाहते हैं, यदि आप कोई स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं और हम बैठते हैं। ममता ने आगे कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें (राजीव को) अरेस्ट करना चाहा, वे उनके घर गए, एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत बिना किसी नोटिस के। कोर्ट ने कहा- नो अरेस्ट। यह अधिकारियों के मनोबल को मजबूत करेगा।

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैतिक जीत बताते हुए कहा, हमने कभी सहयोग करने से मना नहीं किया। सीबीआई बिना नोटिस के कमिश्नर के घर गई थी। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ राजीव कुमार के लिए नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए धरने पर बैठी हैं जो मोदी सरकार के अत्याचार से परेशान है।

उन्होंने कहा, हम अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं नैतिक तौर पर यह हमारी जीत है। केंद्र-राज्य सरकार के काम में दखल दे रहा है। केंद्र संविधान का उल्लंघन कर रहा है। मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा देते हुए ममता ने कहा कि 2019 में देश का हर व्यक्ति पीएम होगा। उन्होंने कहा, मोदी जी ने संविधान को नष्ट कर दिया, गणतंत्र को नष्ट कर दिया। मेरा कहना है मोदी हटाओ और देश बचाओ।

एक साल की मासूम की गर्दन और हाथ बांधकर दरिंदगी

नई दिल्ली(आरएनएस)। राजधानी में फिर एक नन्ही बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। बच्ची महज एक साल की है। अमन विहार में बीती रात उस मासूम बच्ची को जानवरों की तरह बांधकर दुष्कर्म किया गया है। बच्ची की तलाश करते परिजन जब आरोपी के ठिकाने पर पहुंचे तो मासूम की हालत देख सन्न रह गए। नन्ही बच्ची जो ठीक से बैठ नहीं पाती, दुष्कर्मी ने उसकी गर्दन और हाथ कपड़े से बंध रखे थे। उसके शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। वह खून से लथपथ थी।

आरोपी धर्मेंद्र

परिजन बच्ची को फौरन मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर मौके पर लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, लेकिन पुलिस के पहुंचने से उसकी जान बच गई।

लोकल पुलिस ने आरोपी की अस्पताल से पट्टियां वगैरह करवाने के बाद हिरासत में ले लिया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी खामोश हैं। हमने वारदात के सिलसिले में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन न उन्होंने कॉल्स रिसीव कीं, न वॉट्सऐप मेसेज का रिप्लाई किया।

आरोपी की पहचान धर्मेंद्र उर्फ गोलू (20) के तौर पर हुई है। वह बच्ची के ताऊ का जानने वाला बताया जा रहा है। मूलरूप से बदायूं (उप्र) का रहने वाला है। साप्ताहिक बाजारों में छोले-भटूरे बेचने का काम करता है। बताया जा रहा है कि वह बीती रात बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने घर से ले गया था।

महत्वपूर्ण एवं खास

मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले कुकर्मी टीचर को सुनाई फांसी की सजा

भोपाल। मध्यप्रदेश में सतना की जिला अदालत ने 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले टीचर को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। बच्ची से बलात्कार करने और बुरी तरह से उसके अंगों को घायल करने के दोषी टीचर को 2 मार्च को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया है। बच्ची से हैवानियत करने वाला टीचर अभी जबलपुर जेल में बंद है और यहीं पर उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। बच्ची के साथ बर्बरता करने के दिन अब तक शिक्षक को फांसी की सजा मिलने में सात महीने का वक्त लग गया।

एयर इंडिया ने भोजन में कॉकरोच मिलने पर यात्री से मांगी माफी

नई दिल्ली (आरएनएस)। भोपाल से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान में एक यात्री को भोजन में कॉकरोच मिलने की घटना के दो दिन बाद सरकारी एयरलाइन ने इसके लिए माफी मांगी है। एयर इंडिया ने कहा है कि उसने इस मामले में आतंरिक रूप से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। एयरलाइन ने एक ट्वीट में कहा, '' हम इस घटना के लिए अपने यात्री से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें भोपाल-मुंबई उड़ान के दौरान परोसे गए भोजन को लेकर खराब अनुभव का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि भोपाल से मुंबई की यात्रा कर रहे रोहित राज सिंह चौहान नाम के एक यात्री ने शनिवार को ट्वीट किया था कि उन्हें खाने में एयरलाइन ने जो इडली-सांभर परोसा, उसमें कॉकरोच था। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें कॉकरोच दिख रहा था।

शरद पवार के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सोमवार शाम यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार के आवास पर मुलाकात की और केंद्र द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर भाजपा से मुकाबले की अपनी रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरके ओ ब्रायन, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। बाद में पवार ने कहा कि दिन में कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के चैंबर में बैठक कर कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। विपक्षी नेताओं ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन लोगों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने आवास पर करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद पवार ने पत्रकारों को बताया, ''हमने कृषि क्षेत्र की समस्या और बेरोजगारी पर चर्चा की, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर चर्चा की। हमने तय किया कि इन तीन मुद्दों पर चर्चा के लिए हम फिर मिलेंगे।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन कोलकाता में कल जो कुछ हुआ, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते।

शीर्ष न्यायालय ने पूर्व सैन्य सचिव की बर्खास्तगी के आदेश को किया दरकिनार

सुकना जमीन घोटाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्व सैन्य सचिव अवधेश प्रकाश को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसमें उन्हें पश्चिम बंगाल में 2008 के सुकना जमीन घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने इस मामले में जीसीएम की कार्यवाही को ''दूषित'' करार दिया।

कैब बुक कर ड्राइवर की हत्या की, शव के टुकड़े कर फेंके

नई दिल्ली (आरएनएस)। 28 जनवरी से लापता कैब ड्राइवर शकूरपुर निवासी राम गोविंद की अगवा करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने ऐस बेस्ड कैब बुक की फिर गाजियाबाद ले जाकर हत्या की। तीनों कार को मुरादाबाद ठिकाने लगाकर आए, वहां से कटर और उस्तरा लेकर वापस लौटे और शव को टुकड़ों में करके ड्रेन में फेंक दिया।

डीसीपी विजयंता आर्या के मुताबिक, ब्लाइंड मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूपी के अमरोहा निवासी फरहत अली और संभल निवासी सीमा शर्मा उर्फ असलम खातून के तौर पर हुई है। लूटा गया मोबाइल, कार, हत्या में इस्तेमाल कटर और उस्तरा बरामद किया गया है। इसके अलावा, दो बैग जिनमें शव के टुकड़े रखे गए थे, पुलिस ने उसे भी बरामद किया। आरोपी फरहत अली पहले मुरादाबाद में फोटो स्टूडियो में काम करता था। इसके बाद वह फर्जी डॉक्टर बनकर महरौली-गुड़गांव रोड पर दुकान खोलकर बैठ गया। कुछ महीने से आरोपी का काम-धंधा चौपट हो चुका था। सीमा शर्मा शादीशुदा है और पति से अलग गाजियाबाद में कमरा लेकर रह रही है।

29 जनवरी को मृतक राम गोविंद की पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि उनके पति ऐप बेस्ड कैब चलाते हैं। 28 की रात को साढ़े नौ बजे से उनका कोई अता-पता नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू की। आशंका थी कि राम गोविंद को कार समेत अगवा किया गया होगा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। मोबाइल की लास्ट लोकेशन को चेक किया।

घने कोहरे से रेल सेवाएं प्रभावित

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोहरे के चलते 24 ट्रेनों के निर्धारित आगमन एवं प्रस्थान समय में देरी हुई और मौसम विभाग ने शाम में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रेलवे ने बताया, औसतन तीन से चार घंटे की देरी के साथ 24 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। देरी से चल रही ट्रेनों में मालदा-दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस और हावड़ा-नयी दिल्ली दुरंतो भी शामिल है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सफदरजंग में सुबह साढ़े पांच बजे दृश्यता 1,500 मीटर और पालम में 1,000 मीटर दर्ज की गई।

अयोध्या जमीन लौटाने की अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। आम चुनाव से पहले अयोध्या को लेकर रोज नई हलचल हो रही है। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने गैर-विवादित जमीन वापस लौटाने के लिए अर्जी दी। अब इस अर्जी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता ने लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट की वैधता पर सवाल उठाया। केंद्र सरकार के कदम को भी इस अर्जी में चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सूची के विषयों की आड़ में केंद्र सरकार राज्य की भूमि अधिग्रहित नहीं कर सकती। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने 67 एकड़ गैर-विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के लिए अर्जी दी थी। सरकार के इस कदम का जहां राम जन्मभूमि न्यास ने स्वागत किया था, वहीं कुछ अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया। इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को ही एक कार्यक्रम में सभी दलों से इस पर सहयोग की मांग की थी। केंद्र ने कोर्ट में गैर-विवादित जमीन लौटाने की अर्जी में कहा कि वह गैर-विवादित 67 एकड़ जमीन इसके मालिक राम जन्मभूमि न्यास को लौटाना चाहती है। इस जमीन का अधिग्रहण 1993 में कांग्रेस की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने किया था। 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण ऐक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था। सरकार के इस ऐक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुखी जजमेंट में 1994 में तमाम दावेदारी वाले सूट (अर्जी) को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था और निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है, जमीन उसे दी जाएगी।

राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी गोपनीय रिपोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता सरकार के ताजा विवाद को लेकर राज्य के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को भेजी है।

सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्रालय सीबीआई के काम में बाधा डालने के आरोप में वहां मौजूद आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। वहीं खबरें आ रही हैं ममता बनर्जी का धरना अभी और लंबा चल सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी धरना चलने तक धरनास्थल से काम करेंगी। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गवर्नर से सीबीआई के अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की करने और हिरासत में लिए जाने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले पर गृह मंत्रालय को अवगत कराने को कहा था।

अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में लगने लगेंगे सीसीटीवी कैमरे:केजरीवाल

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की बादली विधानसभा की आठ कच्ची कॉलोनियों में विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने पिछले चार साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर खूब काम किया है। उन्होंने यह भी वादा किया कि अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू होने जा रहा है।

बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने सीसीटीवी, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों, अस्पतालों की फाइलों को सालों तक लटकाए रखा लेकिन इसके बाद भी आप सरकार ने चार साल में जितने काम किए हैं, उतने बीजेपी-कांग्रेस की सरकारों ने 70 सालों में भी नहीं किए। बादली में 42 किलोमीटर की 390 गलियां बनेंगी और नवंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आज तक किसी विधानसभा में एक साथ इतना काम नहीं हुआ होगा।

इस बार लोकसभा में आप उम्मीदवारों को जिताएं- सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, दिल्लीवालों ने पिछले विधानसभा चुनाव में आप को 67 सीट देकर नया इतिहास बनाया लेकिन सातों सांसद बीजेपी के बनवा दिए। इन सांसदों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस बार आप के उम्मीदवारों को जितवाएं, ताकि दिल्ली में विकास और तेजी से हो सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस बार वोट बंटने मत देना क्योंकि वोट बंटे तो बीजेपी जीत जाएगी।

राहुल ने प्रियंका को दिया अपना बगल वाला कमरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस की महासचिव नियुक्त की गई प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठने के लिए कमरा मिल गया है। प्रियंका को अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बगल का कमरा दिया गया है। राहुल जब महासचिव थे तब इसी कमरे में बैठा करते थे। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है। राहुल गांधी कांग्रेस में प्रियंका की भूमिका पर चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को विदेश से लौटने के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके तुगलक रोड स्थित आवास पर मुलाकात की थी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार शाम दिल्ली में होने जा रही पार्टी महासचिवों एवं विभिन्न राज्यों के प्रभारियों की बैठक में प्रियंका भी शामिल होंगी।

सुनंदा पुष्कर मौत केस: 21 फरवरी को थरूर पर मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट करेगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस को सेशंस कोर्ट में रेफर कर दिया है। अब थरूर से जुड़े मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में ही होगी। स्वामी ने कोर्ट से सुनवाई में सहयोग की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील भी खारिज कर दी। केस की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई है।

बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में थरूर आरोपी है। 2014 में सुनंदा की मौत दिल्ली के एक आलीशान होटल में हुई थी। शुरू में इसे आत्महत्या माना जा रहा था। इस मामले में शुरुआत से ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी हत्या का दावा कर रहे हैं। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी को तय की है। गौरतलब है कि शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी माना है। कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी मानते हुए आदेश जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3,000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दायर की है।

सीबीआई के सामने पेश होंगे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह साफ किया राजीव की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी।कोर्ट ने राजीव को बंगाल से बाहर शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है। बता दें कि बंगाल की सीएम ममता सीबीआई के खिलाफ तीन दिन

सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका

से धरने पर बैठीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है। अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एसआईटी ने की सबूतों के साथ छेड़छाड़

बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि एसआईटी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि बंगाल में संवैधानिक संस्थाएं चरमरा गई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि एसआईटी डेटा और लैपटॉप को सुरक्षित नहीं रख पाई। एसआईटी ने सीबीआई को गलत कॉल्स डेटा दिया था। बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर को परेशान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अफसरों को परेशान कर रही है।

गोगोई बोले- पूछताछ में दिक्कत क्या है?

इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार को हमारे जांच के आदेश से किस तरह की दिक्कत है।